दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित : 3 सितम्बर, 2013
निर्णीत तिथि : 12 नवंबर, 2013

आप.अ.230/2000

राम प्रसाद .....याचिकाकर्ता
द्वारा: श्री एम.एम.सिंह, अधिवक्ता सह श्री सुनील सिंह, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) ....प्रत्यर्थी
द्वारा: श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

एस.पी.गर्ग, न्या.

1. राम प्रसाद (अपीलार्थी) ने सत्र मामला संख्या 398/94 में दिनांक 08.03.2000 को दिए गए निर्णय की सत्यता और वैधता को चुनौती दी है, जो कि एफआईआर संख्या 233/91 के अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के तहत पु.था. गोकल पुरी में दर्ज किया गया था, जिसके तहत उसे धारा 304 भाग-II दं.प्र.स. के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और 3,000/- रुपये के

जुर्माने के साथ सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है:

2. मीरा (राम रूप की बहन), जो अपीलार्थी के बेटे राधेश्याम से विवाहित है, अपनी भाभी (देवरानी), रुस्तम की पत्नी, को बेटा होने के अवसर पर अपने माता-पिता के घर रहने आई हुई थी। घटना के दिन यानी 25.07.1991 को राधेश्याम उसे वापस लाने के लिए उसके ससुराल आया था और कुछ समय बाद अपीलार्थी भी वहां आ गया। मीरा के भाई राज कुमार ने उसे कुछ दिनों बाद वापस भेजने का वादा किया क्योंकि बच्चे के जन्म से संबंधित कुछ औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई थीं। राम प्रसाद ने मीरा को अपने बेटे राधेश्याम के साथ न भेजने के लिए राज कुमार का विरोध किया और हाथापाई में उसे (राज कुमार) डंडे से मारा। जब राम रूप ने हस्तक्षेप किया, तो राम प्रसाद ने जेब से कैंची निकाली और राम रूप की गर्दन पर वार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और बेहोश हो गया। राम रूप ने जी.टी.बी. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया और वहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। अ.सा.-15 (कांस्टेबल चमन सिंह) से राम रूप के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने पर अ.सा.-15/क) दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जांच का जिम्मा उप.नि. बलदेव सिंह को सौंपा गया, जो कांस्टेबल राजपाल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद जांच का जिम्मा थाना प्रभारी राम सिंह चौहान ने संभाला और उन्होंने राज कुमार (प्र.अ.सा.-4/क) का बयान दर्ज करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। शव

का पोस्टमार्टम कराया गया। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने पर उसके विरूद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल अठारह गवाहों की जांच की। अपने 313 बयान में अपीलार्थी ने झूठे आरोप लगाने का दावा किया और तर्क दिया कि राज कुमार ने उसे कैंची से घायल करने का प्रयास किया था, लेकिन हस्तक्षेप करने पर कैंची राम रूप को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। उसे अपराध के वास्तविक अपराधी राज कुमार को बचाने के प्रयास में झूठा फंसाया गया था। प्रति.सा.-1 (राधेश्याम) और प्रति.सा.-2 (नारायण गिरी) उसके बचाव में पेश हुए। साक्ष्य की सराहना करने और पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा राम प्रसाद को धारा 304 भाग-II भा.दं.सं. के तहत अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार उसे सजा सुनाई। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने उस निर्णय को चुनौती नहीं दी जिसके तहत अपीलार्थी को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था।

3. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का परीक्षण किया है। पक्षों का यह स्वीकृत मामला है कि मीरा का विवाह राधेश्याम से हुआ था - अपीलार्थी का पुत्र घटना से लगभग आठ दिन पूर्व उसके भाई रुस्तम के परिवार में एक लड़के के जन्म के कारण उसके माता-पिता के घर रहने आया था। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि घटना के दिन राधेश्याम तथा उसके पिता राम प्रसाद

मीरा को उसके ससुराल वापस ले जाने के लिए उसके माता-पिता के घर आए थे। उसके भाई उस समय उसे वापस भेजने के लिए सहमत नहीं हुए तथा राम प्रसाद और राज कुमार के बीच हाथापाई हुई, जिसमें अपीलार्थी के हाथों राज कुमार को डंडा लग गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि डंडा लगने से राज कुमार क्रोधित हो गया तथा वह अपीलार्थी को घायल करने के लिए घर से कैंची ले आया। राम रूप ने राम प्रसाद को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और छुरी का वार उसे लगा और उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने आरोपों से इनकार किया है और राम प्रसाद को राम रूप की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अधिवक्ता ने आग्रह किया कि राज कुमार घायल को अस्पताल नहीं ले गया और घटना के बाद मौके से भाग गया। घायल को अपीलार्थी और उसके बेटे ने अस्पताल में भर्ती कराया। इच्छुक गवाहों की गवाही में महत्वपूर्ण विसंगतियां, जिनकी चिंता अपने करीबी रिश्तेदार को बचाने और अपीलार्थी पर दोष लगाने की थी, को बिना किसी ठोस कारण के नजरअंदाज कर दिया गया। महत्वपूर्ण गवाह मीरा को न्यायालय में पेश होने से रोकने के लिए अभियोजन पक्ष के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अपीलार्थी के पास अपने घर से जेब में कैंची लाने का कोई मकसद नहीं था क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी बहू को वैवाहिक घर वापस लाना था। ; चश्मदीद की गवाही चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाती। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि घटना को देखने

वाले प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान सुसंगत हैं और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से हटने का कोई वैध कारण नहीं है।

4. पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता ने राम रूप पर कैंची से वार किया था या उसे दुर्घटनावश चोटें आईं, जब कथित तौर पर राज कुमार ने राम प्रसाद को घायल करने का प्रयास किया था। घटना सुबह करीब 7.30 बजे हुई। ड्यूटी कांस्टेबल चमन सिंह द्वारा राम रूप के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में दी गई सूचना पर सुबह 9.18 बजे दैनिक डायरी (डीडी) संख्या 4क (प्र.अ.सा.-15/क) दर्ज की गई। एमएलसी मार्क 'वाई' में मरीज के जीटीबी अस्पताल में सुबह 9.00 बजे पहुंचने का समय दर्ज है। इसमें आगे यह भी दर्ज है कि सोहन देवी राम रूप को लेकर आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायतकर्ता - राज कुमार का बयान दर्ज किया गया और जांच अधिकारी ने बिना किसी देरी के सुबह 10.40 बजे उस पर पृष्ठांकन (प्र.अ.सा.-18/ए) करके तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। बयान में राज कुमार ने घटना का विस्तृत विवरण दिया और विशेष रूप से राम प्रसाद का नाम लिया जिसने अपने भाई राम रूप को कैंची से घायल कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि राम प्रसाद ने उस समय मीरा को अपने बेटे राधेश्याम के साथ भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उसे चोटें आईं। चूंकि एफआईआर बिना किसी देरी के दर्ज की गई थी, इसलिए इस बात की संभावना कम थी कि कम समय में कोई झूठी कहानी गढ़ी गई हो। आपराधिक मामले में एफआईआर मुकदमे में पेश किए गए सबूतों

की सराहना करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान सबूत है। एफआईआर को तुरंत दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था। न्यायालय में पेश होने के दौरान, शिकायतकर्ता - राज कुमार ने बिना किसी बड़े बदलाव या सुधार के पुलिस को पहले दिए गए संस्करण को साबित कर दिया। उसने बयान दिया कि जब उसने राम प्रसाद से कहा कि मीरा को जरूरी रस्में निभाने के बाद भेज दिया जाएगा, तो राम प्रसाद ने 'कि तू बहुत दादा बनता है' कहकर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद राम प्रसाद ने पास पड़े डंडे से उस पर वार किया। राम रूप, सोहन देवी, संतोष और ज्योति वहां पहुंचे और विवाद में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। जब उसके भाई राम रूप ने राम प्रसाद को समझाने की कोशिश की कि उसे विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसने (राम प्रसाद) जेब से कैंची निकाली और उसकी गर्दन के बाएं हिस्से पर वार कर दिया। उसे उसकी पत्नी सोहन देवी और बृज मोहन तिपहिया स्कूटर पर अस्पताल ले गए। पड़ोसियों ने राम प्रसाद को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। प्रतिपरीक्षा में उसने खुलासा किया कि घटना दरवाजे के पास गैलरी में हुई थी। उसने इस बात से इनकार किया कि राधेश्याम को उन लोगों ने पीटा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे राम रूप के साथ अस्पताल नहीं गए थे और बताया कि रास्ते में वे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि उन्होंने राम प्रसाद को कैंची से चोट पहुंचाने की कोशिश की थी या गलती से कैंची राम रूप को

लग गई थी। शिकायतकर्ता के बयान की जांच करने पर पता चला कि अपीलकर्ता कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं बता पाया जिससे उसके बयान पर विश्वास न किया जा सके और उसे खारिज किया जा सके। मृतक की पत्नी अ.सा.-1 (सोहन देवी) ने भी राम प्रसाद को अपने पति राम रूप की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जब उसने गर्दन पर कैंची से वार किया। उसने राम प्रसाद को कैंची से चोट पहुंचाने की कोशिश में राज कुमार को सौंपी गई भूमिका से इनकार किया। बल्कि उसने बताया कि उसने मीरा को उसके ससुराल भेजने को लेकर राम प्रसाद के साथ हुए झगड़े को शांत किया था। उसने सभी भौतिक पहलुओं पर अ.सा.-4 की गवाही की पुष्टि की और प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं निकाला जा सका जिससे उस पर विश्वास न किया जा सके। उसने अपने पति को खो दिया था और उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह किसी निर्दोष को झूठा फंसाए और असली अपराधी को बेदाग छोड़ दे। अ.सा.-5 (संतोष), राज कुमार की पत्नी ने भी इसी तरह की गवाही दी। अ.सा.-12 (बृज मोहन), एक पड़ोसी, जो हंगामा सुनने के बाद मौके पर गया था, ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन किया और राम प्रसाद पर राम रूप की गर्दन पर कैंची से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। वह मृतक की पत्नी सोहन देवी के साथ घायल को तिपहिया स्कूटर पर अस्पताल ले गया था। पड़ोसी होने के नाते, घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति बिल्कुल स्वाभाविक और संभावित थी। ऊपर संदर्भित सभी साक्ष्य अपने बयान में एकमत हैं, जिसके अनुसार अपीलकर्ता को मृतक को कैंची से चोट पहुंचाने के लिए विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी। वे सभी

संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके बीच किसी भी मुद्दे पर दुश्मनी का कोई इतिहास नहीं था। यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि राज कुमार अपने बहनोई राधेश्याम की मौजूदगी में अपनी बहन मीरा के ससुर को कैंची से घातक चोट पहुँचाने का प्रयास करेगा।

5. चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के प्रतिकूल या इससे भिन्न नहीं है। अ.सा.-14 (डॉ. एल.टी. रमानी), शव परीक्षण सर्जन ने पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट (प्र.अ.सा.-14/क) को साबित किया। राम रूप के शरीर पर दो घाव थे जो तेज धार वाले हथियार से किए गए थे। सामान्य प्रकृति में चोट संख्या 1 मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। चोटें आकस्मिक प्रकृति की नहीं थीं। ये बहुत जोर से लगीं और पीड़ित को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और अस्पताल ले जाते समय चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। राम प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद 25.07.1991 को एमएलसी (प्र.अ.सा. 18/क) के जरिए जीटीबी अस्पताल में डॉ. आर.ए. गौतम द्वारा चिकित्सा जांच की गई। चूंकि, घटना के बाद उसे बड़े पैमाने पर लोगों ने पीटा था, इसलिए उसके शरीर पर कुंद वस्तु से साधारण चोटें आईं। अपीलार्थी या उसके बेटे राधेश्याम ने प्र.सा.-1 के रूप में पेश होकर यह नहीं बताया कि राम प्रसाद को कैसे और किस तरह से चोटें आईं। राम प्रसाद ने राज कुमार पर राम रूप को घातक चोटें पहुंचाने का आरोप लगाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। एमएलसी मार्क 'वाई' में यह दर्ज नहीं है कि वह पीड़ित को जीटीबी अस्पताल ले गया था। अ.सा.-1 (सोहन देवी) जिसका नाम एमएलसी में

उल्लेखित है, ने राम प्रसाद के उनके साथ अस्पताल जाने से इनकार किया। अ.सा. को यह धारणा बनाने के लिए सुझाव दिए गए कि भाइयों के बीच कुछ मुद्दों पर संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन उनके बीच किसी दुश्मनी का अनुमान लगाने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं थी और वे सभी बिना किसी टकराव के संयुक्त परिवार में रहते थे। राम प्रसाद ने यह स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसे अपनी बहू को लाने के लिए मौके पर जाने के लिए क्या मजबूर होना पड़ा, जबकि राधेश्याम पहले ही उस उद्देश्य से वहां जा चुका था। मीरा को उसके ससुराल भेजने से इंकार करने के बावजूद उसे राज कुमार पर डंडे से वार करने का कोई मौका नहीं मिला। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उजागर की गई विसंगतियां और सुधार अप्रासंगिक हैं क्योंकि वे मामले की जड़ तक नहीं जाते हैं। मीरा की जांच न करना घातक नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के बाद मीरा राधेश्याम के साथ वैवाहिक घर में रहती थी या नहीं। उस स्थिति में, अपीलार्थी को बचाव में उससे जांच करने की स्वतंत्रता थी। यह सच है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए सभी साक्ष्य मृतक से संबंधित हैं। हालांकि, यह अपने आप में उनकी गवाही को पूरी तरह से खारिज करने का कोई आधार नहीं है। घटना मीरा के माता-पिता के घर पर सुबह के समय हुई थी। बाहरी लोगों/पड़ोसियों से घटना को देखने के लिए मौजूद रहने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है जो किसी गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज कर दे क्योंकि वह किसी भी पक्ष के पक्षकारों से संबंधित या उनमें रुचि रखता था। ऐसे मामलों में, यदि घटना के

समय ऐसे गवाह की उपस्थिति साबित हो जाती है या उसे स्वाभाविक माना जाता है और ऐसे गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आस-पास की परिस्थितियों और मामले की संभावनाओं के प्रकाश में सत्य पाए जाते हैं, तो यह दोषसिद्धि के लिए एक अच्छा और ठोस आधार प्रदान कर सकता है। घटना से पहले, इन साक्ष्यों की अपीलार्थी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी जिससे उसे घटना में झूठा फंसाया जा सके।

6. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, धारा 304 भाग-II भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना अनुचित नहीं माना जा सकता है तथा उनकी पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। दिनांक 18.07.2000 के नामावली रोल से पता चलता है कि जमानत पर रिहा होने से पूर्व दिनांक 18.07.2000 को वह एक वर्ष, एक माह तथा एक दिन के कारावास की सजा काट चुका था। वह पूर्व में दोषी नहीं है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने निकट संबंधी की हत्या करने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। घटना मीरा के भाइयों द्वारा उसे उस दिन उसके पति के साथ वैवाहिक घर भेजने से इंकार करने के एक मामूली मुद्दे पर आवेश में अचानक घटित हुई। मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए सजा आदेश में संशोधन किया जाता है तथा अपीलार्थी की मूल सजा को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया जाता है। सजा के आदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

7. अपीलार्थी को 20 नवंबर, 2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष सजा की शेष अवधि काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। रजिस्ट्री विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को तुरंत प्रेषित करेगी।

(एस.पी.गर्ग)

न्यायाधीश

12 नवंबर, 2013/टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*